न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
11/09/2025	अपील इंतकाल	15.07.2025	23/03/2026

उनवान प्रकरण :–

01. श्यामलाल पुत्र श्री निहालसिंह जाति चमार (जाटव) ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०) :–अपीलान्ट

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

02. देवेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल जाति जाटव ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

:–रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल. आर. टी. एक्ट के तहत विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार टपूकडा रेस्पोडैन्ट स० 1 के द्वारा इन्तकाल संख्या 1215 दर्ज दिनांक 09.01.2025 स्वीकार दिनांक 09.01.2025 कर आदेश पारित किया बमुराद मन्सूख किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट ।

उपस्थित :

1. श्री हितेश कुमार एडवोकेट :– वकील अपीलान्ट

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि इन्तकाल सं० 1215 बाबत आराजी खसरा नं0 536/599 रकबा 0.76 हैक्टे० का 1/2 हिस्सा, किस्म बंजड भूमि वाके ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०) का रेस्पोडेन्ट सं० 1 तहसीलदार के द्वारा ऑटोमुटेशन के पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की जा रही है। अपीलान्ट हाल आराजी खसरा नं0 536/599 रकबा 0.76 हैक्टे0 का 1/2 हिस्सा किस्म बंजड भूमि वाके ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा जो कि मिन अपीलान्ट श्यामलाल पुत्र निहालसिंह जाति चमार (जाटव) के पिता की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर मिन अपीलान्ट काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता आ रहा है। तथा उनके नाम के बाद मिन अपीलान्ट राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदारी का अमल दरामद रहा है। मिन अपीलान्ट के भाई उदयसिंह पुत्र निहालसिंह ने अपनी आगाजी सासरा नं0 536/599 रकबा 0.76 हैक्टे० का 1/2 हिस्से का बेचान उपपंजीयक महोदय भिवाडी के कमांक नं0 202503111100178 दिनांक 09.01.2025 की देवेंद्र पुत्र श्यामलाल को कर दिया। जिसका ऑटोमुटेशन भरते समय श्यामलाल पुत्र निहालसिंह का 1/2 हिस्सा भी देवेन्द्र पुत्र श्यामलाल के नाम इन्तकाल संख्या 1215 दिनांक 09.01.2025 को दर्ज कर दिया गया है. जो गलत है। जबकि

श्यामलाल पुत्र निहालसिंह ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान नहीं किया है। इन्तकाल संख्या 1215 को रेस्पीडेन्ट सं० 1 के समक्ष पेश किया लेकिन रेसपोडेन्ट स० 1 ने बिना जाँच पड़ताल किये व बिना नोटिस जारी किये व बिना मिन अपीलान्ट को बुलाये व ना ही कोई नोटिस चौपाल पर चस्पा किये इन्तकाल संख्या 1215 दिनांक 09.01.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलकर स्वीकार कर दिया। इन्तकाल संख्या 1215 में वर्णित आराजी जो कि मिन अपीलान्ट व परिवार वालो को मृतक पिता निहालसिंह से विरासत से मिली है। व उनके मरने के बाद मिन अपीलान्ट काबिज व दाखिल है। परन्तु इन सभी तथ्यों का रेस्पोडेन्ट सं० 1 को पूरा–पूरा ज्ञान था लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलकर इन्तकाल संख्या 1215 गलत तौर पर स्वीकार कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं० 1 जो कि हल्का पटवारी का अधिकारी है व हल्का पटवारी अधिनस्थ कर्मचारी है। रेस्पोडेन्ट सं० 1 को अपने पदीय हैसियत के अनुसार अपने अधिनस्थ कर्मचारी से जॉच रिपॉर्ट तलब करनी चाहिए थी। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं० 1 ने गलत तौर पर इन्तकाल को स्वीकार कर दिया है। रेस्पोडेन्ट सं० 1 का उक्त आदेश हर सूरत मे अपास्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट को कानून कायदे कि कतई जानकारी नहीं है और ना ही मिन अपीलान्ट को इस इन्तकाल को स्वीकार होने की पूर्व में कोई जानकारी रही है। मिन अपीलान्ट दिनांक 20.06.2025 को हल्का पटवारी के पास आकर उक्त आराजी की जमाबन्दी का अवलोकन किया तो इन्तकाल संख्या 1215 के स्वीकार होने की जानकारी मिली। जिस पर मिन अपीलान्ट ने कानूनी राय लेकर सभी दस्तावेजात की नकुलात लेकर अपील हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए मिन अपीलान्ट को हकूको की रक्षार्थ यह अपील हाजा न्यायालय श्रीमान के समक्ष साधारणतया अन्दर अवधि पेश की जा रही है। प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया जा रहा है। इन्तकाल संख्या 1215 में दर्ज आराजी मिन अपीलान्ट की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर बदस्तूर काबिज व दाखिल चला आ रहा है। मिन अपीलान्ट के इन्तकाल संख्या 1215 के दर्ज आराजी में कानून व हक व अधिकार निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा गलत तौर पर इन्तकाल स्वीकार किया है के विरूद्ध मिन अपीलान्ट को यह अपील हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार टयूकडा के द्वारा रेस्पोडेन्ट स 2 के पक्ष में पारित आदेश बाबत इन्तकाल सं० 1215 दर्ज दिनांक 09.01.2025 स्वीकार दिनांक 09.01.2025 को निरस्त किया जावें । पुनः मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकॉर्ड की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में इंतकाल संख्या 1215 दिनांक 09.01.2025 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2075–78 प्रदर्श–2, जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, बयनामा प्रतिलिपि प्रदर्श–4 संलग्न किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब पेश किया।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट हाल आराजी खसरा नं0 536/599 रकबा 0.76 हैक्टे0

का 1/2 हिस्सा किस्म बंजड भूमि वाके ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा जो कि मिन अपीलान्ट श्यामलाल पुत्र निहालसिंह जाति चमार (जाटव) के पिता की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। मिन अपीलान्ट के भाई उदयसिंह पुत्र निहालसिंह ने अपनी आगाजी सासरा नं0 536/599 रकबा 0.76 हैक्टे० का 1/2 हिस्से का बेचान उपपंजीयक महोदय भिवाडी के कमांक नं0 202503111100178 दिनांक 09.01.2025 की देवेंद्र पुत्र श्यामलाल को कर दिया।जिसका ऑटोमुटेशन भरते समय श्यामलाल पुत्र निहालसिंह का 1/2 हिस्सा भी देवेन्द्र पुत्र श्यामलाल के नाम इन्तकाल संख्या 1215 दिनांक 09.01.2025 को दर्ज कर दिया गया है. जो गलत है। जबकि श्यामलाल पुत्र निहालसिंह ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान नहीं किया है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार टपूकडा के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में पारित आदेश बाबत इन्तकाल सं० 1215 दर्ज दिनांक 09.01.2025 स्वीकार दिनांक 09.01.2025 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपील मियाद शुमार पेश की गई है। अतः निर्णय दिनांक से अपील पेश करने की अवधी कंडोन की जाती है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार देवेन्द्र पुत्र श्यामलाल द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.01.2025 के द्वारा आ.ख.न. 536/599 रक्बा 0.76 है0 किस्म बंजड का उदयसिंह पुत्र निहाल सिंह हिस्सा 1/2 जाति चमार का क्रय किया गया। परन्तु आटोम्यूटेशन दर्ज करते समय सहवन से उपरोक्त आराजी ख.न. का सम्पूर्ण हिस्सा देवेन्द्र पुत्र श्यामलाल जाति जाटव के नाम दर्ज हो गया। जो की गलत है। रेस्पो. संख्या 2 के लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया कि मिन अपीलान्ट के भाई उदयसिह पुत्र निहालसिंह का आराजी खसरा न० 536/599 रकबा 0.76 हैक्टेयर का 1/2 हिस्से का बेचान उपपंजीयक महोदय भिवाडी के कमाक न020253111100178 दिनांक 09.1.2025 को रेस्पोडेन्टान संख्या 2 के हक में किया गया था जिसका इन्तकाल सहवन से सम्पूर्ण रकच का हो गया है इसका शुद्धि करण किया जाना आवश्यक है। साथ ही इंतकाल स0 1215 दर्ज दिनांक 09.01.2025 व स्वीकार दिनांक 09.01. 2025 का 1/2 हिस्सा का इन्तकाल निरस्त कर अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी मे दर्ज किया जावे । व 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट स० 2 के नाम रखा जाने हेतु निवेदन किया।

रिकॉर्ड के परिक्षण एवं उपलब्ध दस्तावेजों विक्रयनामा/पटवारी रिपोर्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के जवाब के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि देवेन्द्र पुत्र श्यामलाल के द्वारा प्रश्नगत आराजी ख.न. 536/599 रक्बा 0.76 है0 किस्म बंजड का उदयसिंह पुत्र निहाल सिंह हिस्सा 1/2 जाति चमार का क्रय किया गया। परन्तु इंतकाल दर्ज करते समय उपरोक्त आराजी ख.न. का सम्पूर्ण हिस्सा देवेन्द्र पुत्र श्यामलाल जाति जाटव के नाम दर्ज कर दिया गया। इसकी पुष्टि पटवारी हल्का के रिपोर्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के जवाब से भी होती है। अतः तहसीलदार टपूकडा के द्वारा इंतकाल संख्या 1215 दर्ज दिनांक 09.01.2025 व स्वीकार दिनांक 09.01.2025 ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा पारित करते समय लिपिकिय त्रुटि/भूल का सुधार कराना चाहिए था।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टपूकडा के द्वारा पारित इंतकाल संख्या 1215 दर्ज दिनांक 09.01.2025 व स्वीकार दिनांक 09.01.2025 ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार टपूकडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.01.2025 के आधार पर इंतकाल दर्ज व स्वीकृत करने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन/शुद्धि तत्काल की जाये। निर्णय की प्रति तहसीलदार टपूकडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।